संख्या-डीजीटी-12013/1/2017-हिंदी
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
****

नई दिल्ली, दिनांकः 14 मई, 2024

परिपत्र

विषयः अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने संबंधी प्रोत्साहन योजना (वर्ष 2024-25)

महानिदेशालय में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की सरकारी कामकाज में अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने संबंधी प्रोत्साहन योजना परिचालित की जा रही है। सभी अधीनस्थ कार्यालयों से भी अनुरोध है कि वे भी इस योजना को लागू करें।

1. ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है, या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

2. योजना 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि में हिंदी में दिए गए डिक्टेशन कार्य से संबंधित है।

3. इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में प्रति वर्ष एक ऐसे अधिकारी को पुरस्कार के लिए चुना जाना है जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिंदी में दे। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी अपने द्वारा हिंदी मे दिए गए डिक्टेशन के बारे मे रिकार्ड रखेंगे। यह रिकार्ड उनके स्टेनो/निजी सहायक भी रख सकते हैं तथा उसके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यह रिकार्ड मुख्यालय/अधीनस्थ कार्यालय(यों) के संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये प्रोफार्मा (नमूना संलग्न है) में रखा जा सकता है अथवा संबंधित अधिकारी द्वारा एक फोल्डर रखा जा सकता है जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित हो तथा दिए गए डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी गई हों।

4. राजभाषा विभाग के दिनांक 06.03.1989 के का.ज्ञा.सं. ।। 12013/1/89-रा.भा. (क-2) और दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) के अनुपालन में योजना के अंतर्गत 5000/-रुपये के दो पुरस्कार रखे गए हैं। इनमें से एक पुरस्कार ऐसे अधिकारी के लिए होगा जिसका घोषित निवास स्थान 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के अंतर्गत हो और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारी के लिए होगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो।

5. सभी अधीनस्थ कार्यालय इस योजना को स्वयं चला सकते हैं और पुरस्कार के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। "कार्यालय" से तात्पर्य सामान्यतः उस कार्यालय से होगा जिसका स्थानीय मुख्य अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया हो।

6. पुरस्कार निर्धारण के लिए महानिदेशालय के किसी उच्च स्तर के अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी नामित किया जाएगा। अधीनस्थ कार्यालय के मामले में भी वे किसी उच्च स्तर के अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी नामित करेंगे अथवा इस कार्य हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जा सकता है।

7. महानिदेशालय के सभी अधिकारियों से अनुरोध हैं कि वे इस अवधि में अधिकाधिक डिक्टेशन हिंदी में देकर योजना की सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। इससे उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिलेगी। अधीनस्थ कार्यालयों के जिन उच्चाधिकारियों को आशुलिपिक की सुविधा प्राप्त है वे अपने दावे मूल्यांकन हेतु महानिदेशालय को भेज सकते हैं।

गुलाब चंद्रा

8. डिक्टेशन योजना हेतु अपना दावा प्रस्तुत करते समय अधिकारी कृपया यह भी स्पष्ट करें कि उन्होंने डिक्टेशन देने के लिए जिस आशुलिपिक की सेवाएं लीं हैं क्या उसे भी हिंदी आशुलिपि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया है अथवा आशुलिपिक मूल रूप से हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित होने के कारण प्रोत्साहन का/की पात्र नहीं था/थी।

समस्त अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में भी इस योजना को परिचालित करें तथा इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई से मुख्यालय को भी अवगत कराएं।

इसे **उप महानिदेशक (मुख्यालय)** महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

गुलाब चंद्रा

(गुलाब चंद्रा)
सहा. निदेशक, राजभाषा (प्रभारी)

सेवा में,

1. प्रशिक्षण महानिदेशालय के समस्त अधिकारी।
2. प्रशिक्षण महानिदेशालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय।

प्रति सूचनार्थः

i. महानिदेशक/अपर सचिव के पीएसओ
ii. उप महानिदेशक (मुख्यालय) के प्रधान निजी सचिव
iii उप महानिदेशक (दक्षिण) के प्रधान निजी सचिव
iv उप महानिदेशक (पूर्व) के प्रधान निजी सचिव
v. संयुक्त निदेशक (सीएफआई)

प्रपत्र (नमूना)

हिंदी में अधिक से अधिक डिक्टेशन से संबंधित पुरस्कार योजना के अंतर्गत रखे जाने वाले रिकार्ड का प्रपत्र (नमूना)

क्रम संख्या	माह	डिक्टेशन से लिखे गये शब्दों की संख्या	फाइल संख्या	टिप्पणी